(543)

महत्वपूर्ण

FAX

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-एल0पी0जी0-02/2010 6395 /खाद्य, पटना/दिनांक- 25/7/2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- एल0पी0जी0 वितरकों के प्रतिष्ठानों/गोदामों का औचक निरीक्षण करने एवं तत्संबंधी मासिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि घरेलू एल0पी0जी0 वितरण में बरती जा रही अनियमितताओं, कालाबाजारी एवं उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति में अनावश्यक विलंब के संबंध में सूचना विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही है ।

उपभोक्ताओं को ससमय निर्धारित दर पर एल0पी0जी0 की आपूर्ति सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता है । उपभोक्ताओं को समय पर घरेलू एल0पी0जी0 रिफिल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए यह आवश्यक है कि जिला स्तर पर एल0पी0जी0 वितरण कार्यों का सतत् अनुश्रवण एवं समीक्षा किया जाय ।

अतएव जिला में कार्यरत एल0पी0जी0 वितरकों एवं एल0पी0जी0 वितरण से जुड़े कंपनियों के स्थानीय/क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ नियमित बैठक की जाय । घरेलू एल0पी0जी0 के कालाबाजारी एवं वितरण में बरती जानेवाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने हेतु एल0पी0जी0 वितरकों के प्रतिष्ठानों/गोदामों का औचक निरीक्षण कराया जाय एवं इसके दौरान पायी जानेवाली अनियमितताओं के आलोक में त्वरित कार्रवाई की जाय तथा तत्संबंधी मासिक प्रतिवेदन विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/- 25/07/2011
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-एल0पी0जी0-02/2010 6395 /खाद्य, पटना/दिनांक- 25/7/2011

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/- 25/07/2011
प्रधान सचिव ।

D:\Year 2011\Sec-7\L.P.G.doc

(344)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

महत्वपूर्ण

पत्रांक-प्र07-विविध-37/2010 5477 खाद्य, पटना/दिनांक- 9.6.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- पेट्रोल पम्पों द्वारा पेट्रोल एवं डीजल का तौल कम करने एवं अपमिश्रण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि पेट्रोल पम्पों द्वारा उपभोक्ताओं को भुगतान की गई राशि के विरूद्ध कम पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति करने एवं उनमें अपमिश्रण करने की शिकायतें विभाग को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती रहती हैं ।

विदित हो कि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 266 दिनांक 14.01.2008 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी सहित राज्य के कुल 22 श्रेणी के पदाधिकारियों को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) एवं उच्च वेग डीजल (डीजल) के किसी स्थान/परिसर में प्रवेश कर जाँच एवं जप्ती करने हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

उपभोक्ताओं को सही तौल एवं अपमिश्रणरहित पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराना सरकार का दायित्व बनता है ।

अतएव जिलों में कार्यरत पेट्रोल पम्पों द्वारा सही माप तौल में एवं अपमिश्रितरहित पेट्रोल एवं डीजल की विक्री सुनिश्चित कराने हेतु जिलों में पदस्थापित माप-तौल पदाधिकारी तथा पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की संयुक्त जाँच दल का गठन किया जाय और पेट्रोल पम्पों की नियमित जाँच करायी जाय । जाँच के क्रम में अगर अनियमितता पाई जाती है तो उसके आलोक में कड़ी कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

9/06/2011

प्रधान सचिव ।

D:\Year 2011\Sec-7\Vivid Sec 7.doc

345

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0एस0आर0 दिनांक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रायल भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सा0का0नि0 729(अ) दिनांक 19.12.2005 के मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के कंडिका - 7 के तहत प्रदत शक्तियों के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (अधिनियम 10, 1955) की धारा - 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की पूर्व सहमति से बिहार राज्यपाल द्वारा उक्त आदेश के कंडिका - 7 के प्रावधानों के तहत राज्य के निम्नलिखित पदाधिकारियों को अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल के किसी स्थान/परिसर में प्रवेश जॉच एवं जप्ती करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है :-

1. प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/खाद्यायुक्त के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त
3. सभी आरक्षी उप महानिरीक्षक
4. सभी जिला पदाधिकारी
5. सभी आरक्षी अधीक्षक
6. सभी अपर जिला दण्डाधिकारी
7. सभी अपर समाहर्ता
8. सभी उप निदेशक, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति
9. सभी अनुमंडल पदाधिकारी
10. सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी
11. अनुज्ञापन प्राधिकारी
12. सभी आरक्षी उपाधिक्षक
13. सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी
14. प्रभारी दण्डाधिकारी उड़नदस्ता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना
15. सभी कार्यपालक दण्डाधिकारी
16. विशिष्ट पदाधिकारी प्रभारी अनुभाजन, पटना
17. उप अनुभाजन पदाधिकारी, पटना
18. सभी सहायक अनुभाजन पदाधिकारी, पटना

(346)

19. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी
20. सभी अंचल अधिकारी
21. सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी
22. सभी पणन पदाधिकारी

2. उपर्युक्त आदेश से संबंधित जी0एस0आर0-1 दिनांक 14.01.2000 को तात्कालिक प्रभाव से विलोपित किया जाता है ।

(प्र06-कि0आ0-04/07)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
14.1.2008
(सुरेश कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र06कि0आ0-04/07 266 /खाद्य,पटना-15,दिनांक- 14.01.08

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय बिहार, गुलजारबार पटना को राजकीय राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. उनसे अनुरोध है कि इसकी एक सौ प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की करें ।

14.1.2008
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र06कि0आ0-04/07 266 /खाद्य,पटना-15,दिनांक- 14.01.08

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव बिहार पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / सभी प्रधान सचिव / सचिव /सभी विभागाध्यक्ष /सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ /सभी आरक्षी उप महानिरीक्षक / को सूचनार्थ अग्रसारित ।

14.1.2008
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र06कि0आ0-04/07 266 /खाद्य,पटना-15,दिनांक- 14.01.08

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंधित पदाधिकारियों को इसकी प्रतिलिपि अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

14.1.2008
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र06कि0आ0-04/07 266 /खाद्य,पटना-15,दिनांक- 14.01.08

प्रतिलिपिः विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना एवं सभी पदाधिकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14.1.2008
सरकार के संयुक्त सचिव ।

(347)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-विविध-37/2010 2975 खाद्य, पटना/दिनांक- 3/5/2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी आरक्षी अधीक्षक ।

विषयः- पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित पाइप लाइनों एवं प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस के सुगमतापूर्वक संचरण हेतु पाइप लाइनों का प्रयोग किया जाता है । इन पाइप लाइनों एवं इनसे संबंधित प्रतिष्ठानों से पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस की चोरी की सूचना यदा-कदा प्राप्त होती रहती है । ऐसा करने से जहाँ सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है वहीं जान माल की भी क्षति होने की संभावना बनी रहती है । पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित पाइप लाइनों एवं प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व बनता है ।

अतएव अनुरोध है कि पाइप लाइनों एवं प्रतिष्ठानों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाय और इनसे पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस की चोरी करने में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध IPC, EC Act, ' Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980' एवं अन्य सुसंगत नियमों/आदेशों के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-विविध-37/2010 2975 खाद्य, पटना/दिनांक- 3/5/2011

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस रेगुलेटरी बोर्ड, प्रथम तल्ला, विश्व व्यापार केन्द्र बाबर रोड, नई दिल्ली - 110001 को उनके संदर्भ संख्या PNG RB/CH/11 दिनांक- 7 अप्रील, 2011 के आलोक में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव ।

(348)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र06–गैस–03/2008– 785 खाद्य, पटना/दिनांक– 17.3.09

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– अनुदानित घरेलू एल0 पी0 जी0 सिलिंडर/पी0 डी0 एस0 किरोसिन के दुरूपयोग, कालाबाजारी एवं विचलन को रोकने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अर्द्ध सरकारी पत्रांक पी–17012/6/2008–mkt, दिनांक 24.12.2008 के प्रसंग में कहना है कि सरकार एवं तेल कंपनियों द्वारा घरेलू एल0 पी0 जी0 सिलेंडर एवं पी0 डी0 एस0 किरोसिन पर क्रमशः 142.67 रूपया प्रति सिलिंडर एवं 16.60 रूपया प्रति लीटर का अनुदान भार वहन किया जाता है ।

घरेलू एल0 पी0 जी0 सिलेंडर एवं पी0 डी0 एस0 किरोसिन के दुरूपयोग, कालाबाजारी एवं विचलन के फलस्वरूप सरकार/तेल कंपनियों को राजस्व का नुकसान सहना पड़ता है, साथ ही सही उपभोक्ताओं को भी कठिनाई होती है । अतः इनके कालाबाजारी एवं विचलन पर अंकुश लगाना अत्यावश्यक है ।

"द्रवित पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीव्यूशन) आदेश 2000" एवं "किरोसिन (रेस्ट्रिक्शन ऑन युज एवं फिकशेसन ऑफ सिलिंग प्राईस) आदेश 1993 में इन वस्तुओं के गैर कानूनी रूप से प्रयोग करने वालों के विरूद्ध पर्याप्त कार्रवाई करने के प्रावधान है ।

अनुरोध है कि अनुदानित घरेलू एल0 पी0 जी0 सिलिंडरों/पी0 डी0 एस0 किरोसिन के दुरूपयोग, कालाबाजारी एवं विचलन रोकने से सम्बन्धित विभिन्न आदेशों/पत्रों के संदर्भ में सार्थक कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन,

17/03/09.

(त्रिपुरारि शरण)
सरकार के सचिव ।

D:\2009\SEC_6LPG.doc

खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग
1 7 DEC 2005
बिहार, पटना

(549)

निबंधन सं० पी० टी०—40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 श्रावण 1927 (श०)

(सं० पटना 413) पटना, शनिवार 30 जुलाई 2005

खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

अधिसूचनाएं

30 जुलाई, 2005

सं० जी० एस० आर० 1, दिनांक 30 जुलाई, 2005—पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के जी० एस० आर० 487 (ई), दिनांक 26 अप्रील, 2000 द्वारा प्रकाशित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 के खण्ड-13 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (केन्द्रीय अधिनियम 10,1955) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार राज्य के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उक्त आदेश के कार्यान्वयन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के स्थान।परिसर में प्रवेश, जांच, तलाशी एवं जप्ती करने हेतु प्राधिकृत करते हैं—

1. सभी प्रमंडलीय आयुक्त
2. आरक्षी उप महानिरीक्षक (खाद्य)
3. सभी जिला पदाधिकारी
4. विशिष्ट पदाधिकारी, प्रभारी अनुमाजन, पटना
5. सभी अपर समाहर्त्ता
6. सभी अपर जिला दंडाधिकारी
7. सभी प्रमंडलीय उप-निदेशक (खाद्य)
8. आरक्षी अधीक्षक (खाद्य)
9. सभी अनुमंडल दंडाधिकारी
10. सभी आरक्षी उपाधीक्षक (खाद्य)
11. सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी
12. प्रभारी दंडाधिकारी (उड़नदस्ता) खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना
13. सभी कार्यपालक दंडाधिकारी
14. सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी

15. उप-अनुमाजन पदाधिकारी, पटना
16. सहायक अनुमाजन पदाधिकारी, पटना
17. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी
18. सभी पणन पदाधिकारी
19. सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
20. आरक्षी निरीक्षक (खाद्य)
21. सभी आपूर्ति निरीक्षक

2. यह अधिसूचना तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा एवं तत्संबंधित पूर्व अधिसूचना/आदेश को रद्द समझा जाय

(प्र० 6 गैस-01/2000)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

जी० एस० आर०-1 ए, जी० एस० आर० 1, दिनांक 30 जुलाई, 2005 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद (संलग्न) बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(प्र० 6 गैस 01/2000)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

The 30th July 2005

G.S.R. 1, dated the 30th July 2005.—In exercise of powers conferred under clause 13 of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) order 2000 published by Ministry of Petroleum and Natural Gas Government of India *vide* G.S.R. 487(E) dated 26th April, 2000 read with essential commodities Act 1955 (Central Act, 10 of 1955) the Governor of Bihar is pleased to authories following officers of the Bihar state to exercise the power of entry search and seizure of placepremises of Liquified Petroleum Gas within their jurisdiction and to take necessary actions for due compliance of the said order:—

1. All Divisional Commissioner
2. Dy. Inspecttor General of Police (Food)
3. All District Magistrate
4. Special Officer Rationing, Patna
5. All Additional Collector
6. All Additional District Magistrate
7. All Divisional Deputy Director (Food)
8. Superintendent of Police (Food)
9. All Sub-Divisional Magistrate
10. All Deputf Superintendent of Police (Food)
11. All District Supply Officer
12. Magistrate Incharge Flying Squad
    Food, Supply and Commerce Deptt. Bihar, Patna
13. All Executive Magistrate
14. All Assistant District Supply Offiier
15. Deputy Rationing Officer, Patna
16. Assistant Rationing Officer, Patna
17. All Block Development Officer/Circle Officer

18. All Marketing Officer
19. All Block Supply Officer
20. All Police Inspector (Food)
21. All Supply Inspector

2. This notification will come into force with immediate effect and Previous notification/order in this regard may kindly be treated as cancelled.

[Pra 6 Gas-01/2000]

By order of the Governor of Bihar

(Sd.) ILLEGIBLE,
Deputy Secretary to Government.

[अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण); 413—लाईनो—571—10—